पत्रिका

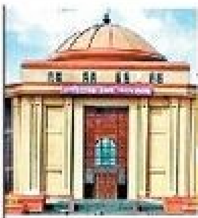

7 युवकों पर एफआईआर

एनएच पर नई कारें खड़ी कर किया था जाम

हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट की फटकार के बाद रईसजादों की कारें जब्त

एनएच जाम करने वालों की लग्जरी कारें जब्त क्यों नहीं की: हाईकोर्ट

22 जुलाई को प्रकाशित

पत्रिका ब्यूरो @ बिलासपुर. नेशनल हाईवे-130 जाम करने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। साथ ही रसूखदार 7 युवकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मंगलवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा कर दिया। दरअसल शहर के कुछ रईसजादों ने अपनी लग्जरी कारों को बीच सड़क पर खड़ी कर एनएच को जाम कर दिया था, जिससे लोग परेशान होते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मात्र 2000 की चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने बिलासपुर पुलिस से पूछा था कि इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार से शपथपत्र में जवाब भी मांगा था।

एफआईआर में ये

वेदांश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, यशवंत, दुर्गेश ठाकुर, विपिन वर्मा, अभिनव पांडेय, आकाश सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 126 (2), 285, 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।

इधर, घटारानी में हुड़दंग, 12 बाइकर्स पर, 1.20 लाख फाइन

पांडुका. घटारानी में बाइकर्स के ग्रुप में पुलिस ने तगड़ा चालान किया है। ये बाइकर्स हुड़दंग मचा रहे थे। मंगलवार को कुछ बाइकर्स का ग्रुप भी यहां पहुंचा। ये लोग पर्यटन स्थल के बाहर बाइक चलाकर हुड़दंग मचा रहे थे। ब्रीथ एनालाइज से की गई जांच में सभी बाइकर्स शराब के नशे में पाए गए। ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत प्रत्येक बाइकर पर 10 हजार रुपए का फाइन लगाते हुए कुल 1.20 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया।

> मामले में वेदांश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसने बाकी 6 लोगों के नाम बताए। सभी को गिरफ्तार कर मुचलका पर छोड़ दिया गया। गाड़ियों को जब्त किया गया है। **- प्रदीप आर्या,** टीआई, सकरी

23/07/2025 | Raipur City | Page : 5
Source : https://epaper.patrika.com/